लक्ष्मीकांत छोटेलाल गुप्ता व अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य व अन्य

09 मई 2007

[एस.वी. सिन्हा व मार्कण्डेय काटजू, जे.जे.]

महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता 1966- धारा 202, 203- नीलामी विक्रय- भू राजस्व का बकाया- वसूली- व्यतिक्रमी की सम्पत्ति की नीलामी- किसी एक पक्ष के कहने पर बिक्री की वैधता पर आपत्ति- विधिक प्रक्रिया का अपालन- उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान दिलाने के बावजूद मामले के महत्तवपूर्ण पहलुओं को संबोधित नहीं किया- निर्देश जो दिये गए वे पूर्णतया अनुचित- इस प्रकार उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया एवं मामला नये सिरे से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किये जाने को निर्देशित किया गया- सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 43 नियम 1(यू)

प्रत्यर्थी नं. 5 से 7 भागीदारी फर्म के भागीदार हैं, फर्म पर बिक्री कर का भुगतान बकाया हो गया। भागीदारों की सम्पत्ति कुर्क कर ली गई। प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 ने रिट याचिका प्रस्तुत कर प्राधिकारियों को निर्देश दिये जाने की प्रार्थना की कि कथित फर्म से बकाया की वसूली केवल अपीलार्थी से की जावे न कि उनसे वसूली जावे। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सम्पत्ति की नीलामी की जावे और नीलामी रखी गई। प्रश्न उठा

कि क्या नीलामी क्रेता ने रकम का भुगतान कथित नियमों के अन्तर्गत किया है। प्रत्यर्थी ने कब्जा संभलाने में आपत्ति की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि इस निर्देश के बावजूद कि नीलामी कठोरतापूर्वक विधिक प्रक्रिया से की जावे, नीलामी दिनांक 09.12.2003 के आदेश से पुष्ट कर दी गई व याचिका खारिज कर दी गई। उक्त आदेश को वापस लिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो भी खारिज कर दिया गया तथा प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 को आदेश दिया गया कि वे सम्पत्ति का कब्जा विभाग को सुपुर्द करे। इस न्यायालय के समक्ष अपील में, उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया कि विक्रय को पुष्ट करने से पूर्व धारा 202 व 203 महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता के प्रावधानों की अपालना को ध्यान में रखा जावे। उच्च न्यायालय एक बार पुनः संहिता की धारा 202, 203 के प्रभावों की परीक्षा करने में असफल रहा तथा सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जिनमें दिनांक 09.12.2003 के आदेश को वापस लेने का प्रार्थना पत्र जो कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया था वह भी शामिल था। कुछ सम्पत्तियां जो पहले ही नीलामी के लिए रखी गई व नीलामी द्वारा क्रय की गई, उन सम्पत्तियों के लिए जो उन्हें नहीं संभलाई गई प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 द्वारा आपत्तियां उठाई गई और प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 को आदेशित किया गया कि वे विधि की प्रक्रियानुसार अग्रिम कदम उठाए इसलिए यह अपील की गई।

अपील की अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया- 1.1 यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने मामले के महत्त्वपूर्ण पक्ष को ध्यान दिलाने के बावजूद संदर्भित नहीं किया। प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 को केवल विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने को निर्देशित करते हुए सभी लंबित प्रार्थना पत्र निस्तारित कर दिये गए, किन्तु वे कौन से अन्य कदम या कार्यवाही हैं जो की जा सकती हैं, कथित नहीं की। ऐसे निर्देश वास्तव में अनुचित थे। (पैरा 13)

1.2. इसमें कोई संदेह या विवाद नहीं है कि राजस्व के बकाया की वसूली व्यतिक्रमी की सम्पत्तियों से की जा सकती है अन्य बातों के साथ-साथ नीलामी की जा सकती है, किन्तु इसमें भी कोई संदेह या विवाद नहीं है कि इसके लिए प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने दीवानी अपील में अपने आदेश में यह पाया है कि उच्च न्यायालय ने गलत प्रक्रिया को पुनःस्थापित किया है। प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 द्वारा प्रस्तुत याचिका में सम्मिलित मुद्दा सीमित था। उच्च न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का अनुचित रूप से विस्तार किया। (पैरा 14) (216-एफ,जी)

1.3. यहां तक कि सक्षम सिविल न्यायालय के आदेश पर की जाने वाली नीलामी के सम्बन्ध में भी सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान किये गए हैं, जिनकी पालना आवश्यक है। किसी एक या अन्य पक्षकार के कहने पर विक्रय की वैधता पर की गई आपत्ति पर विचार करना और विनिश्चय

करना आवश्यक है। यहां तक कि सी.पी.सी. के आदेश 43 नियम 1(यू) के तहत ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। (पैरा 15) (217 ए)

1.4. कानून के प्रावधान चाहे निर्देशात्मक हो या आज्ञापक, अक्षरक्षः या सारभूत अनुपालना की आवश्यकता वाले प्रश्न हैं जिन्हें न्यायालयों द्वारा आवश्यक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने सोचा कि उच्च न्यायालय ऐसा करेगा सम्भवतः इस न्यायालय के आदेश के ऐसे प्रभाव व अभिप्राय को ध्यान में नहीं लाया गया इसलिए मामले में सक्षम प्राधिकारी को पुनः नये सिरे से विचार करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी सं. 4 जो कि सहायक कमिश्नर बिक्रीकर है इसके लिए सक्षम प्राधिकारी है। इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है, अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई दलीलों को अपने गुणदोषों पर विचार करे। (पैरा 16) (217 बी,सी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2406/2007

डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 2530/2001 में बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर बैंच के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 20.12.2005 से।

अपीलार्थी की ओर से उदय उमेश ललित, प्रगति एन. सिंह, एस. सिंह, दांगरे और धर्मेंद कुमार सिन्हा।

प्रत्यर्थीगण की ओर से पी.एस. मिश्रा, सत्यजीत ए. देसाई, अनघा एस. देसाई, विक्रम सलूजा, वेंकटेश्वर राव अनुमोलू, अनुपम के. संघी,

अनिता शेनोय, अनिरुद्ध पी. मायी, तथागत एच. वर्धन, ध्रुव कुमार झा, उपेन्द्र मिश्रा, रवि सी. प्रकाश व मनु शंकर मिश्रा।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 तक मै. सोमरस डिस्टलरीज के भागीदार है जिस पर अन्य बातों के साथ बिक्रीकर का भुगतान बकाया है।

3. भागीदारों की सम्पत्तियां कुर्क की गई। प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 के द्वारा रिट याचिका प्रस्तुत करते हुए अन्य बातों के साथ यह प्रार्थना की है कि बिक्रीकर प्राधिकारियों द्वारा उक्त फर्म के बकाया की वसूली केवल अपीलार्थीगण से की जावे न कि उनसे।

4. प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 ने भागीदारी फर्म की सम्पत्तियों को नीलाम किये जाने का इरादा रखा। उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 28.04.2003 के द्वारा निर्देशित किया -

> ''जहां तक वस्तु सं. 4 अर्थात फर्म की स्वयं की मशीनों का सम्बन्ध हैं, हमें सूचित किया गया है कि अपसेट मूल्य पच्चीस लाख रूपये निर्धारित किया गया परन्तु कोई बोलीदाता सामने नहीं आया। यह उचित होगा कि उक्त वस्तु की नीलामी का विज्ञापन राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में व्यापक रूप से प्रसारित किया जावे।

विज्ञापन का खर्चा भी नीलामी प्रक्रिया से लिया जावे। नीलामी आज से 45 दिन के भीतर की जावे तथा उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में नीलामी की रिपोर्ट न्यायालय के सामने आठ सप्ताह तक रखी जावे।"

5. उक्त निर्देश की पालना में नीलामी दिनांक 06.06.2003 को फर्म के फैक्ट्री परिसर में रखी गई, सर्वोच्च बोली 65 लाख रूपये रही।

6. ऐसे मामलों में लोक नीलामी महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता 1966 के प्रावधानों से संचालित होती है जिसके सुसंगत प्रावधान इस प्रकार हैं:-

"क्रय मूल्य कब दिया जावेगा

202. विक्रय का सम्पूर्ण मूल्य क्रेता के द्वारा अचल सम्पत्ति के विक्रय की दिनांक के दो माह गुजरने से पूर्व या क्रेता के द्वारा विक्रय की पुष्टि की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के पूर्व जो भी पहले हो किया जावेगा।

बशर्ते कि यदि क्रय मूल्य अदा किये जाने का अंतिम दिन रविवार या अन्य प्राधिकृत अवकाश है तब भुगतान उसके अगले कार्यदिवस को सूर्यास्त से पूर्व किया जावेगा।"

''व्यतिक्रम का प्रभाव''

203. पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान करने में विहित समय में चूक होने पर चाहे वह चल या अचल सम्पत्ति हो, बिक्री के

खर्चों का भुगतान करने के बाद जमा राशि राज्य सरकार के पक्ष में जप्त कर ली जावेगी और फिर सम्पत्ति को पुनः विक्रय कर दिया जावेगा और व्यतिक्रमी क्रेता के सम्पत्ति के सभी दावों को जप्त कर लिया जावेगा या उस राशि में से किसी भी हिस्से को जप्त किया जा सकता है जो बाद में विक्रय किया जावेगा''

7. प्रश्न उठा कि क्या दिनांक 29.04.2004 को उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नीलामी क्रेता ने उक्त प्रावधानानुसार राशि जमा करवाई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया -

''मैं इस तर्क में कोई सार नहीं पाता हूं, यह नोट किया जा सकता है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद कि नीलामी कठोरतापूर्वक विधि के प्रावधानों के अनुसार रखी जावेगी, दिनांक 09.12.2003 के आदेश के तहत नीलामी की पुष्टि की गई और अब याची अवमानना प्रक्रिया का सहारा नहीं ले सकते हैं। उन्हें इस तथ्य की जानकारी न्यायालय को रिट याचिका सं. 2530/2001 में देनी चाहिए थी। मामले के इन तथ्यों में याचिका खारिज की जाती है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि याचिकाकर्ता न्यायालय के

समक्ष रिट याचिका सं. 2530/2001 में जाने के लिए स्वतंत्र है।"

8. एक अन्य प्रार्थना पत्र, जो उक्त आदेश को वापस लिए जाने के लिए किया गया खारिज किया गया, में निर्देशित किया गया-

"उपर्युक्त टिप्पणीयों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि इस याचिका के परिणाम के अधीन नीलामी बिक्री की पुष्टि की गई इसलिए इस प्रक्रिया में किसी भी पक्षकार को शिकायत होने पर अंतिम सुनवाई के समय विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा बिक्रीकर के बकाया की वसूली पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा इस याचिका में समय-समय पर पूर्व में आदेश किए गए हैं।"

9. आगे यह भी निर्देश दिये गए-

"उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 द्वारा सम्पत्तियां सुपुर्द करने में की गई आपत्तियां, जो भी हो, हम उसमें कोई औचित्य नहीं पाते हैं। विशेषतः जबकि नीलामी द्वारा विक्रय की पुष्टि पहले ही न्यायालय द्वारा की जा चुकी है एवं एक बड़ी राशि पहले ही दिनांक 09.12.2003 के पहले के आदेश से नीलामी बिक्री के अधीन देखी जा चुकी है। नीलामी बिक्री

याचिका के परिणाम के अधीन है। इन परिस्थितियों में हम प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 को निर्देशित करते हैं कि वे आज से 15 दिन के भीतर विभाग को सम्पत्तियों का कब्जा बिना किसी बाधा के सुपुर्द कर दें।"

10. यह मामला अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष फिर से लाया गया जिसे सिविल अपील सं. 6630/2005 से चिन्हित किया गया। पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुनने पर इस न्यायालय का मत है-

मामले के उक्त दृष्टिकोण में यह उच्च न्यायालय के लिए अनिवार्य था कि वह धारा 202 व 203 महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अपालन के प्रभावों पर विचार करता। विक्रय की पुष्टि करने से पूर्व उच्च न्यायालय अन्यथा पक्षकारों को यह निर्देशित कर सकता था कि वे उक्त संहिता का सहारा ले। यदि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश किया जाता तो अपीलार्थियों के लिए यह मार्ग खुला था कि वे प्रत्यर्थी सं. 3 के समक्ष समुचित प्रार्थना पत्र पेश करते जो कि ऐसी नीलामी करने के लिए समुचित प्राधिकारी था।

मामले के आर्थिक तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा मत है कि यह एक उचित मामला था

जहां इस मामले के अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर उच्च न्यायालय द्वारा अपनी क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग किया जाना चाहिए था ताकि पक्षकारों को पता चल सके कि वे कहां खड़े हैं। श्री ललित का कहना सही है कि यदि कारखाने के परिसर का कब्जा इस भूमि और इमारत के नीलामी क्रेता को सौंप दिया जाता है तो अपीलार्थी को इससे अपूर्णीय और अप्राप्य क्षति हो सकती है। कारखाना परिसर में स्थापित मशीनों का क्या होगा यह भी ज्ञात नहीं है। हमें बार में सूचित किया जाता है कि प्लांट और मशीनों के सम्बन्ध में एक और नीलामी हो सकती है परन्तु इसके सम्बन्ध में एक अन्य नीलामी क्रेता हो सकता है और जहां तक नीलामी का सम्बन्ध है बिक्री की पुष्टि नहीं होती है और प्लांट तथा मशीने उक्त नीलामी क्रेता को सुपुर्द नहीं की जाती है तब वह उसी नीलामी क्रेता के कब्जे में रहेंगी।

11. हालांकि जब यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया तब उच्च न्यायालय दोबारा धारा 202, 203 महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के प्रभावों का परीक्षण करने में असफल रहा और दिनांक 09.12.2003 को अपीलांट द्वारा सिविल एप्लीकेशन नं. 3730/2004 को सम्मिलित करते हुए सभी आपत्तियों को निस्तारित कर दिया और निर्देशित कियाः-

"वर्तमान स्थिति यह है कि कुछ सम्पत्तियां जो पहले नीलामी में रखी गई एवं नीलामी क्रेता द्वारा क्रय की गई वे प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 द्वारा की गई विभिन्न आपत्तियों के कारण उन्हें सुपुर्द नहीं की जा सकती जो कि मुख्य प्रतियोगी है। इसमें मै. सोमरस डिस्टलरीज का कारखाना तथा प्लांट (यंत्र) शामिल है।

इसलिए हम प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 को इस निर्देश के साथ याचिका का निपटारा करने का प्रस्ताव रखते हैं कि वे इस मामले में विधि अनुसार सभी संबंधित पक्षकारों को, जिनमें याचि एवं प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 शामिल हैं, उचित अवसर देते हुए अग्रिम कदम उठाए तथा नीलामी क्रेता को सक्षम बनाए कि वे बिक्रीकर विभाग द्वारा संचालित किये जाने वाले सम्पत्ति के नीलामी विक्रय से सम्बन्धित सभी पक्षों को सुनकर विधि अनुसार उचित आदेश पारित करे।"

12. इस प्रकार अपीलांट हमारे समक्ष है।

13. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने मामले के महत्त्वपूर्ण पक्ष को ध्यान में लाए जाने के बावजूद उसे संदर्भित नहीं किया। प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 को केवल यह कहकर सभी लंबित प्रार्थना पत्रों को निस्तारित कर दिया कि वे विधि के अनुसार अग्रिम कदम उठाये लेकिन वे क्या अन्य

या अग्रिम कदम होंगे यह नहीं बताया। इस प्रकार के निर्देश पूर्णतया अनुचित थे।

14. यहां इस बात में कोई संदेह या विवाद नहीं हो सकता है कि राजस्व के बकाया की वसूली व्यतिक्रमी से की जानी चाहिए जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ व्यतिक्रमी की सम्पत्तियों की नीलामी की जा सकती है लेकिन इसमें कोई संदेह या विवाद नहीं हो सकता कि इसके लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालना किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने सिविल अपील सं. 6631/2005 में पारित अपने आदेश दिनांक 28.10.2005 में ध्यान दिया है कि उच्च न्यायालय ने गलत प्रक्रिया का सहारा लिया है। प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 द्वारा इस मामले में सम्मिलित मुद्दा सीमित था। उच्च न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का अनुचित विस्तार किया।

15. यहां तक कि सक्षम सिविल न्यायालय के आदेश पर की जाने वाली नीलामी के सम्बन्ध में भी सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान किए गए हैं जिनकी पालना आवश्यक है। किसी एक या अन्य पक्षकार के कहने पर विक्रय की वैधता पर की गई आपत्ति पर विचार करना और विनिश्चय करना आवश्यक है। यहां तक कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 नियम 1(यू) के तहत ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

16. कानून के प्रावधान चाहे निर्देशात्मक हो या आज्ञापक, अक्षरक्षः या सारभूत अनुपालन की आवश्यकता वाले प्रश्न है जिन्हें न्यायालयों द्वारा आवश्यक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने सोचा कि उच्च न्यायालय ऐसा करेगा। सम्भवतः इस न्यायालय के आदेश के ऐसे प्रभाव व अभिप्राय को ध्यान में नहीं लाया गया इसलिए मामले में सक्षम प्राधिकारी को पुनः नए सिरे से विचार करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी सं. 4, जो कि सहायक कमिश्नर बिक्रीकर है, इसके लिए सक्षम प्राधिकारी है। इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई दलीलों के गुणदोषों पर विचार करे।

17. इस मामले का निस्तारण करने से पहले, हम नीलामी क्रेता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. मिश्रा के निवेदन पर ध्यान दे सकते हैं, कि संहिता की धारा 202 व 203 की पालना की जा चुकी थी। रिट याचीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यहां अपीलार्थी का उद्देश्य मामले के निस्तारण में देरी करना है, हम उक्त तथ्य की शुद्धता या अन्य में नहीं जाना चाहते। प्रत्यर्थी सं. 4 निर्विवाद रूप से मामले के तथ्यों एवं पहलुओं पर विचार कर सकता है।

18. प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सत्यजीत ए. देसाई ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी सं. 4 के लिए यह सम्भव है

कि वह पक्षकारों के दस्तावेजात प्रस्तुत करने की दिनांक से दो सप्ताह के भीतर आपत्तियों का निस्तारण कर दे।

19. आयोजित नीलामी के सम्बन्ध में मूल अभिलेख प्रत्यर्थी सं. 4 के पास होना चाहिए अन्यथा उसके समक्ष पेश किया जाना चाहिए। इस दिनांक से दो सप्ताह के भीतर अपीलांट अपनी लिखित आपत्तियां व सिविल आवेदन सं. 3730/2004 की एक प्रति प्रत्यर्थी सं. 4 के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। रिट याचिकाकर्ता/प्रत्यर्थीगण इसी प्रकार नीलामी क्रेता दी गई समयावधि के भीतर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपीलांट द्वारा उठाए गए मुद्दों की उन्हें जानकारी है अपने जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रत्यर्थी सं. 4 चार सप्ताह के भीतर विधिअनुसार मामले का विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगा। इसके बाद पक्षकारों को मौखिक रूप से सुनवाई का एक अवसर दिया जावेगा।

20. हम इस बात को साफ कर देना चाहते हैं कि पक्षकारों के सभी मुद्दे खुले रखे गए हैं। आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। उपरोक्त निर्देशानुसार अपील स्वीकार की जाती है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में लागत का कोई आदेश नहीं किया जाता है।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गौरव शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकारणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारित और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।